दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University Gorakhpur

संयुक्त स्नातक प्रवेश परीक्षा – 2018
(शैक्षणिक सत्र 2018–19 के लिए)

Joint UG Entrance Test - 2018
(For the Academic Session 2018-19)

प्रवेश निर्देशिका
Admission Brochure

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

अधिसूचना

संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2018–19

पत्रांकः DDUGU/Adm./.................... दिनांकः ....

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के आवासीय परिसर एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों (जिनकी योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष की है) में प्रवेश के लिए निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन एतद् द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। प्रवेश से सम्बन्धित समस्त पाठ्यक्रमों का विवरण, स्नातक प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम तथा अर्हताएं, प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित वेबसाईट **www.ddugu.edu.in** पर उपलब्ध है।प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश सम्बन्धी प्रामाणिक सूचनाओं के लिए उक्त वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।स्नातक प्रवेश परीक्षा 2018 निम्न पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय परिसर, सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु संयुक्त रूप से आयोजित की जायेगी

स्नातक पाठ्यक्रमः

1. बी0ए0
2. बी0एस–सी0 (गणित)
3. बी0एस–सी0 (जीव विज्ञान)
4. बी0एस–सी0 (गृहविज्ञान)
5. बी0काम0
6. बी0बी0ए0
7. बी0सी0ए0
8. बी0 एस–सी0 (कृषि)
9. बी0एस–सी0 (एम.एल.टी.)
10. बी0एस–सी0 (फिजियोथिरेपी)
11. बी0एस–सी0 नर्सिंग(बेसिक)।

नोट –

1. **सत्र 2018–19 में स्नातक पाठ्यक्रमों में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के आवासीय परिसर एवं सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में प्रवेश केवल संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2018 के माध्यम से ही होगा।**
2. **विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में उपलब्ध पाठ्यक्रमों/विषयों/सीटों की उपलब्धता के अन्य विवरण परिशिष्ट–ए में वर्णित है।**
3. **क्रमांक 08–11 तक के पाठ्यक्रम केवल सम्बद्ध महाविद्यालयों में ही उपलब्ध हैं।**
4. **संयुक्त स्नातक प्रवेश परीक्षा–2018 के लिए गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, बस्ती, लखनऊ एवं पटना नोडल केन्द्र होंगे।**

प्रवेश परीक्षा–2018 के लिए सम्भावित तिथियाँ

क्र0सं0	विवरण	तिथियाँ
1	ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के प्रारम्भ होने की तिथि	28.03.2018
2	ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की अन्तिम तिथि	20.04.2018

विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा के आयोजन की सम्भावित तिथियाँ

1.	बी0काम0	10.05.2018
2.	बी0एस–सी0 (गणित) /*बी0एस–सी0 (गृहविज्ञान), *बी0एस–सी0 (एम.एल.टी.), *बी0एस–सी0 (फिजियोथेरेपी)	13.05.2018
3.	बी0एस–सी0 (जीव विज्ञान)/ *बी0एस–सी0 (गृहविज्ञान), *बी0एस–सी0 (एम.एल.टी.),*बी0एस–सी0 (फिजियोथेरेपी), बी0एस–सी0 नर्सिंग (बेसिक),	16.05.2018
4.	बी0बी0ए0	18.05.2018
5.	बी0ए0	20.05.2018
6.	बी0सी0ए0	22.05.2018
7.	बी0 एस–सी0 (कृषि)	24.05.2018

*इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (गणित) तथा विज्ञान वर्ग (जीवविज्ञान) में उत्तीर्ण छात्र/छात्राएं बी0एस–सी0 (एम.एल.टी.), बी0एस–सी0 (फिजियोथेरेपी) तथा बी0एस–सी (गृहविज्ञान) के प्रवेश हेतु क्रमशः बी0एस–सी0 (गणित) तथा बी0एस–सी0 (जीवविज्ञान) के लिये आयोजित प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

पंजीकरण शुल्क

क्र0सं0	संवर्ग	शुल्क
1	सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	रू0 750–00
2	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संवर्ग	रू0 400–00

महत्वपूर्ण नोटः

1. अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट *www.ddugu.edu.in* से स्वयं फार्म भरे एवं प्रवेशपत्र डाउनलोड करें।फार्म भरने से पहले समस्त निर्देश ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ लें।
2. प्रत्येक पाठ्यक्रम (कोर्स) में प्रवेश हेतु अलग–अलग आवेदन करना होगा। एक पाठ्यक्रम में आवेदन को किसी अन्य पाठ्यक्रम में किसी भी दशा में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।
3. अभ्यर्थी द्वारा फार्म भरने में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। फार्म में किसी प्रकार का परिवर्तन बाद में स्वीकार नहीं होगा।
4. सम्पूरित आवेदन पत्र की प्रति (हार्ड कॉपी) विश्वविद्यालय को भेजना नहीं है।
5. प्रवेश परीक्षा में शामिल होने हेतु प्रवेश पत्र (Admit card) अभ्यर्थी को स्वतः इण्टरनेट से डाउनलोड करना होगा।
6. सम्पूरित ऑनलाइन आवेदन पत्र, भुगतान रसीद व प्रवेशपत्र का प्रिंट (हार्ड कॉपी) अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें।
7. पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश सम्बन्धी प्रामाणिक सूचनाओं के लिए वेबसाइट *www.ddugu.edu.in* ही नियमित रूप से देखते रहें।
9. पाठ्यक्रम सम्बन्धी विस्तृत सूचना के लिए परिशिष्ट 'A' देखें।

कुलसचिव
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के सामान्य नियम

1. प्रत्येक स्नातकपाठ्यक्रम के लिए अलग–अलग आवेदन करना होगा।
2. प्रत्येक पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय परिसर, सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित/स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में सीटों की संख्या पूर्व निर्धारित है **विस्तृत विवरण के लिए परिशिष्ट 'A' देखें)। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्रवेश शासनादेश संख्या–2651/सत्तर–2–2003–16।92।/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 के अनुरूप होंगे।**
3. **आरक्षण :(केवल विश्वविद्यालय केन्द्र एवं सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों के लिए)**

(अ) ऊर्ध्व आरक्षण (केवल उत्तर प्रदेश के अधिवासियों (UP Domicile)) के लिए :

अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	02 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग (इसके लिए क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी अर्ह नहीं हैं)	27 प्रतिशत

आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को अपने जिले के सक्षम अधिकारी यथा जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट/तहसीलदार द्वारा निर्गत अद्यतन प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है कि उनके जाति प्रमाण पत्र अद्यतन हों तथा राज्य सरकार के नवीनतम राजाज्ञा के अन्तर्गत क्रीमीलेयर में न होने का स्पष्ट उल्लेख सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया हो।

(ब) क्षैतिज आरक्षण :

शारीरिक रूप से विकलांग	3 प्रतिशत
स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (पुत्र/पुत्री/पौत्र/प्रपौत्र/पौत्री/प्रपौत्री)	2 प्रतिशत
भूतपूर्व सैनिक एवं युद्ध में शहीद, युद्ध में अपंग रक्षा कर्मी अथवा उनके पाल्य	2 प्रतिशत
कारगिल युद्ध में शहीद रक्षा कर्मी के आश्रित	1 प्रतिशत
कश्मीर विस्थापित	5 प्रतिशत
कार्यरत सैनिक एवं उनके पाल्य (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री)	1 प्रतिशत

अग्रेत्तर सूच्य है कि शासन के आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन शासनादेशों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

4. **संयुक्त प्रवेश परीक्षा में भारांक (वेटेज)–**

(क) (*i*) महिला अभ्यर्थियों के लिए 2 प्रतिशत।
(*ii*) एन.सी.सी. में '**बी**' सर्टिफिकेट प्राप्त छात्र/छात्राओं के लिए 2 प्रतिशत।
(*iii*) स्काउट/गाइड के छात्र/छात्राओं के लिए 2 प्रतिशत।

टिप्पणी: उपर्युक्त अधिप्रतिनिधित्व दो से अधिक एक साथ नहीं जुड़ेगा। किसी अभ्यर्थी को किन्हीं दो छूटों के आधार पर 4 प्रतिशत से अधिक अधिभार देय नहीं होगा।

(ख) विश्वविद्यालय परिसर, सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों के सेवारत/सेवा निवृत्त/मृतक शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अविवाहित पुत्र/पुत्री एवं पत्नी/पति को प्रवेश में 10 प्रतिशत अधिभार अनुमन्य है।

टिप्पणी: इस अधिभार का लाभ केवल विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु ही दिया जायेगा। (क) और (ख) को मिलाकर अधिभार की अधिकमत सीमा 10 प्रतिशत होगी।

महत्वपूर्ण :

नीचे दी गई तालिका में प्रमाणपत्र के सम्मुख अंकित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र ही मान्य होगा जो जाँच हेतु प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।

प्रमाण पत्र	**सक्षम अधिकारी**
जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित.जाति / जनजाति.एवं अन्य पिछडा वर्ग)	जिलाधिकारी / अपरजिलाधिकारी / तहसीलदार / मजिस्ट्रेट
दिव्यांग प्रमाण पत्र	मुख्य चिकित्साधिकारी
स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र	जिलाधिकारी
प्रतिरक्षा प्रमाण पत्र (भूतपूर्व सैनिक एवं युद्ध में शहीद, युद्ध में अपंग रक्षा कर्मी अथवा उनके पाल्य)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
कार्यरत सैनिक एवं उनके पाल्य	कमान अधिकारी (Commanding Officer)
विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्य	कुलसचिव
सम्बद्ध राजकीय / अनुदानित महाविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्य	प्राचार्य, सम्बद्ध महाविद्यालय एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
कश्मीर विस्थापित व कारगिल शहीद आदि	जिलाधिकारी

5. विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्यों (पति / पत्नी / पुत्र / पुत्री) के लिए विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर की कक्षाओं में संकायवार प्रवेश के लिए अधिसंख्य आरक्षण कुल निर्धारित संख्या का 10 प्रतिशत है। इस श्रेणी में आवेदकों को कुलसचिव द्वारा निर्गत पाल्य प्रमाणपत्र निर्धारित तिथियों के अन्दर समन्वयक कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। तदोपरांत इनके आवेदन पत्रों की पूर्ति आनलाइन समन्वयक कार्यालय के द्वारा कराई जायेगी। यह प्रवेश आरक्षण नियमों के तहत, उपलब्ध स्थान एवं विषय संयुक्तियाँ तथा प्रवेश परीक्षा के अंकों के सापेक्ष होगा। **विश्वविद्यालय में किसी भी पाल्य का प्रवेश बिना प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए नहीं होगा। यह सुविधा मात्र विश्वविद्यालय परिसर हेतु अनुमन्य है।**

6. विश्वविद्यालय परिसर के स्नातक पाठ्यक्रमों में राज्य / राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक कक्षा में कोटा उपलब्ध है। इसके अन्तर्गत प्रवेश कुलपति जी द्वारा नामित सक्षम समिति के माध्यम से निर्धारित मापदण्डों से होगा। **अभ्यर्थी आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर इसे अनिवार्य रूप से इंगित करना होगा।**ऐसे विकल्प वाले अभ्यर्थी का प्रवेश यदि मेरिट के आधार पर नहीं होता है तो अभ्यर्थी को खेलकूद कोटा के अन्तर्गत प्रवेश की सूचना उचित माध्यम द्वारा निर्गत की जायेगी। आवेदक राज्य / राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय खेल प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होंगे। खेलकूद कोटा के अन्तर्गत संकायवार आवंटित सीटों के सापेक्ष ही प्रवेश सम्भव होगा। **यह सुविधा मात्र विश्वविद्यालय परिसर हेतु अनुमन्य है।**

   राज्य / राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न संकायों में संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु स्थान निम्नवत् निर्धारित हैं –

कला	:	10
विज्ञान	:	03
वाणिज्य	:	03

अर्हता

1. स्नातक में प्रवेश हेतु वर्ष 2015 या उसके बाद की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही अर्ह होंगे। वर्ष 2018 में इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित छात्र भी स्नातक प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु प्रवेश के समय उन्हें योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र/अंक पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. **योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त तीन वर्ष से अधिक अन्तराल की दशा में किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश नहीं होगा। एक वर्ष के अन्तराल पर 5 प्रतिशत एवं दो वर्ष के अन्तराल 7 प्रतिशत तथा तीन वर्ष के अन्तराल पर 10 प्रतिशत की कटौती के उपरान्त प्रवेश लिया जायेगा। सेवारत सैन्य कर्मियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के प्रवेश में यह नियम लागू नहीं होगा।**
3. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अर्हता का विवरण

पाठ्यक्रम (Course)	**योग्यता प्रदायी परीक्षा (इण्टरमीडिएट या समकक्ष)**				
	Arts	Science (Math)	Science (Bio)	Agriculture	Commerce
B.A.	✓	✓	✓	✓	✓
B.Sc.(Maths)	X	✓	X	X	X
B.Sc.(Bio.)	X	X	✓	X	X
B.Sc.(Ag.)	X	✓	✓	✓	X
B.Sc.(Home Science)	X	✓	✓	X	X
B.Com.	✓	✓	✓	✓	✓
B.B.A.	✓	✓	✓	✓	✓
B.C.A.	✓	✓	✓	✓	✓
B.Sc. Nursing (Basic)	X	X	✓	X	X
B.Sc. (PT)	X	✓	✓	X	X
B.Sc. (MLT)	X	✓	✓	X	X

नोट :

1. बी.बी.ए. में प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य है।
2. बी0एस–सी0 नर्सिंग (बेसिक)में अर्हता इण्टर (जीवविज्ञान) अथवा समकक्ष होगी, अतः इण्टरमीडिएट परीक्षा विज्ञान वर्ग में 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्णहोना अनिवार्य है।
3. बी0एस–सी0 (फिजियोथिरेपी), बी0एस–सी0 (एम0एल0टी0) तथा बी0एस–सी0 (गृहविज्ञान) में प्रवेश के लिए अर्हता इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (गणित) तथा विज्ञान वर्ग (जीवविज्ञान) दोनों है। छात्र/छात्राएं क्रमशः उन्हीं विषयों में परीक्षा देंगे, जिन वर्गों में उन्होंने इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है।
4. बी0एस–सी0 (फिजियोथिरेपी) एवं बी0एस–सी0 (एम0एल0टी0) में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट परीक्षा में सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य है।

स्नातक प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम

प्रवेश परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जायेंगे जिसका स्तर इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष होगा। विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम निम्नवत् होगा–

अ. बी0ए0 प्रवेश परीक्षा हेतु–

1.	भाषा ज्ञान–(हिन्दी : 15 प्रश्न एवं अंग्रेजी :15 प्रश्न)	30 प्रश्न
2.	सामान्य अध्ययन– भारतीय इतिहास, दर्शन एवं संस्कृति	25 प्रश्न
3.	भारत देश एवं लोग	15 प्रश्न
4.	भारतीय स्वतंत्रता संग्राम	15 प्रश्न
5.	भारतीय राजनीतिक व्यवस्था	15 प्रश्न
6.	भारतीय सामाजिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था	15 प्रश्न
7.	भारतीयअर्थशास्त्र– कृषि, उद्योग व्यापार एवं पंचवर्षीय योजनायें	10 प्रश्न
8.	महत्वपूर्ण राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय समकालीनघटनाओं और खेल–कूद पर आधारित	25 प्रश्न

ब. बी0एस–सी0(गणित)/ बी0एस–सी0(गृहविज्ञान)/ बी0एस–सी0(एम.एल.टी.) एवं बी0एस–सी0(फीजियोथिरेपी) प्रवेश परीक्षा हेतु–

1.	सामान्य वैज्ञानिक अध्ययन	15 प्रश्न
2.	गणित	45 प्रश्न
3.	भौतिकी	45 प्रश्न
4.	रसायनशास्त्र	45 प्रश्न

स. बी0एस–सी0(जीवविज्ञान)/ बी0एस–सी0(गृहविज्ञान)/ बी0एस–सी0(एम.एल.टी.)/ बी0एस–सी0(फीजियोथिरेपी) तथा बी0एस–सी0 नर्सिंग (बेसिक) प्रवेश परीक्षा हेतु–

1.	सामान्य वैज्ञानिक अध्ययन	15 प्रश्न
2.	प्राणिविज्ञान	45 प्रश्न
3.	वनस्पति विज्ञान	45 प्रश्न
4.	रसायनशास्त्र	45 प्रश्न

द. बी0काम0 प्रवेश परीक्षा हेतु–

1.	भाषा सम्बन्धी –(अंग्रेजी :15 प्रश्न एवं हिन्दी 15 प्रश्न)	30 प्रश्न
2.	सामान्य ज्ञान	15 प्रश्न
3.	मानसिक योग्यता	30 प्रश्न
4.	वाणिज्य [पुस्तपालन(बुककीपिंग) एवं लेखाकर्म(एकाउन्टेंसी)]	20 प्रश्न
5.	व्यावसायिक संगठन	15 प्रश्न
6.	अर्थशास्त्र	15 प्रश्न
7.	अधिकोषण(बैंकिग)	15 प्रश्न
8.	व्यावसायिक भूगोल	10 प्रश्न

च. बी0बी0ए0 प्रवेश परीक्षा हेतु

1.	सामान्य अंग्रेजी	15 प्रश्न
2.	सामान्य ज्ञान	30 प्रश्न
3.	सामान्य गणित	30 प्रश्न
4.	व्यवसाय अध्ययन (इण्टरमीडिएट स्तर– पुस्तपालन लेखाकर्म)	15 प्रश्न
5.	व्यवसायिक संगठन	15 प्रश्न
6.	प्रारम्भिक अर्थशास्त्र	10 प्रश्न
7.	व्यवसायिक वातावरण	15 प्रश्न
8.	अधिकोषण	10 प्रश्न
9.	सामान्य प्रबन्ध के सिद्धान्त तथा प्रबन्ध के क्रियात्मक क्षेत्र	10 प्रश्न

छ. बी0सी0ए0प्रवेश परीक्षा हेतु

1.	सामान्य अंग्रेजी	20 प्रश्न
2.	सामान्य ज्ञान	30 प्रश्न
3.	मैथमेटिकल रिजनिंग एवं लॉजिक	25 प्रश्न
4.	सामान्य विज्ञान	40 प्रश्न
5.	सामान्य गणित (हाई स्कूल स्तर)	35 प्रश्न

ज. बी0एस–सी0(कृषि) प्रवेश परीक्षा हेतु–

1.	सामान्य अंग्रेजी	15 प्रश्न
2.	सामान्य हिन्दी	15 प्रश्न
3.	सामान्य वैज्ञानिक अध्ययन	20 प्रश्न
4.	कृषि (इण्टरमीडिएट स्तर)	100 प्रश्न

अन्य आवश्यक व महत्वपूर्ण निर्देश

1. स्नातक प्रवेश परीक्षा में कुल 150 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का व कुलअधिकतम अंक 450 होगा। **विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्रवेश परीक्षा में गलत उत्तर पर किसी अंक की कटौती नहीं होगी।**
2. भाषा को छोड़कर शेष सभी प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे।
3. प्रश्नपुस्तिका के साथ ओ0एम0आर0 उत्तर पत्र दिये जायेंगे, जिस पर उत्तर अंकित करना होगा। केवल उत्तर पत्रका ही मूल्यांकन होगा।
4. प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर होंगे, जिनमें सही उत्तर का चुनाव कर उत्तर पत्र में उस प्रश्न संख्या केसामने बने विकल्पों के वृतों में से आप द्वारा चयनित विकल्प को काले/नीले बालपेन से भरना होगा।

उदाहरणार्थ–

1. रेखांकित शब्द की शुद्ध बर्तनी चुनिए–

A.सृखंलाओं	○
B.श्रृंखलाओं	●
C.सिरखलाओं	○
D.संख्याओं	○

2. Select the word with the correct spelling

A. Psichology	○
B. Sychology	○
C. Psychology	●
D. Psychlogy	○

आलोक– उपर्युक्त प्रश्न केवल उदाहरणार्थ है, एवं इसका वास्तविक प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रवेश प्रक्रिया

1. अभ्यर्थी चयनित प्रत्येक पाठ्यक्रम के आवेदन की हार्ड कापी प्रिन्ट करने के उपरान्त पाठ्यक्रम के अनुसार अलग–अलग संस्थाओं (विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों) का ऑनलाइन विकल्प (च्वाइस फिलिंग) भरेंगे।
2. संस्थाओं के चयन हेतु अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार अधिक से अधिक वरीयता भरें। संस्था (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय) का आवंटन अभ्यर्थी द्वारा दिये गये वरीयता क्रम एवं मेरिट के आधार किया जायेगा।
3. अभ्यर्थी संस्था (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय) का चयन अपनी वरीयता के अनुसार प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् तीन दिनों तक ही कर सकता है। अलग–अलग पाठ्यक्रम के लिये संस्था (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय) की वरीयता का चयन अलग–अलग किया जाना है।

4. प्रवेश परीक्षा में अर्ह पाए गये अभ्यर्थियों का अस्थाई प्रवेश उनके द्वारा चयनित पाठ्यक्रम, प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक तथा अनुमन्य अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज) के आधार पर निर्मित सूचकांक एवं श्रेष्ठताक्रम के अनुसार उपलब्ध सीटों पर सुसंगत नियमो के आधार पर होगा।

5. आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रवेश प्रक्रिया निम्नवत् सम्पन्न की जायेगी

- विश्वविद्यालय परिसर
- राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालय
- स्ववित्तपोषित महाविद्यालय

6. पाठ्यक्रम के अनुसार विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में आवंटित छात्र/छात्राओं की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

7. (क)विश्वविद्यालय परिसर में उपलब्ध स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाइन काउन्सिलिंग के माध्यम से होगा जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् है–

(i) विश्वविद्यालय परिसर के लिए चयनित सूची से प्रवेशार्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थान पर काउन्सिंलिंग हेतु उपस्थित होकर अपने समस्त अभिलेखों का सत्यापन कराएंगे। इसकी सूचना वेबसाइट *www.ddugu.edu.in* पर उपलब्ध होगी।

(ii) अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात् उसका आवंटन उनके द्वारा चयनित संयुक्तियों में से मेरिट के आधार पर ऑनलाइन कर दिया जायेगा।

विषय संयुक्तियाँ (केवल विश्वविद्यालय केन्द्र के लिए)

स्नातक कला (बी0ए0):

कला संकायमें पढ़ाये जाने वाले समस्त विषयों को तीन समूहों में निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है। प्रत्येक प्रवेशार्थी को तीन विषय लेना है। प्रत्येक समूह से केवल एक विषय लिया जा सकता है।

समूह		
(अ)	**(ब)**	**(स)**
मनोविज्ञान	हिन्दी	राजनीतिशास्त्र
भूगोल	पालि	अर्थशास्त्र
रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन	दर्शनशास्त्र	इतिहास
दृश्य कला	प्राचीन इतिहास	उर्दू
मंच कला	अंग्रेजी	संस्कृत
सांख्यिकी	गणित	शिक्षाशास्त्र
गृहविज्ञान		
शारीरिक शिक्षा		
समाजशास्त्र		

नोट:

1. गृह विज्ञान विषय वे ही अभ्यर्थी ले सकते हैं, जिन्होंने इण्टरमीडिएट में गृह–विज्ञान विषय पढ़ा हो अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण किया हो।
2. भूगोल विषय वे ही अभ्यर्थी ले सकते हैं, जिन्होंने इण्टरमीडिएट में भूगोल पढ़ा हो अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा विज्ञान या कृषि वर्ग से उत्तीर्ण किया हो।
3. सांख्यिकी के साथ गणित लेना अनिवार्य होगा।
4. **प्रत्येक विषय में स्थान निर्धारित है। प्रवेश के उपरान्त विषय परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।**

स्नातक विज्ञानः (बी0एस–सी0)
विज्ञान संकाय में पढ़ाये जाने वाली निम्नांकित संयुक्तियाँ स्वीकृत है

गणित समूह में निम्नांकित संयुक्तियाँ स्वीकृत है

- गणित, भौतिकी एवं रसायनशास्त्र
- गणित, भौतिकी एवं इलैक्ट्रानिक्स
- गणित, भौतिकी एवं सांख्यिकी
- भौतिकी, गणित एवं कम्प्यूटर साइन्स
- गणित, सांख्यिकी एवं कम्प्यूटर साइंस
- गणित, भौतिकी तथा रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन
- गणित, सांख्यिकी तथा रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन
- भौतिकी, गणित एवं औद्योगिक रसायनशास्त्र
- गणित, रसायनशास्त्र एवं औद्योगिक रसायनशास्त्र

जीवविज्ञान समूह में निम्नांकित संयुक्तियाँ स्वीकृत है

- वनस्पतिशास्त्र, प्राणिविज्ञान एवं रसायनशास्त्र
- वनस्पतिशास्त्र, प्राणिविज्ञान तथा रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन
- वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र एवं औद्योगिक सूक्ष्म जीवविज्ञान
- प्राणि विज्ञान, रसायनशास्त्र एवं औद्योगिक सूक्ष्म जीवविज्ञान
- प्राणि विज्ञान, वनस्पतिशास्त्र एवं औद्योगिक सूक्ष्म जीवविज्ञान

टिप्पणी : औद्योगिक रसायनशास्त्र एवं औद्योगिक सूक्ष्म जीवविज्ञान बिषय स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित है।

(iii) अभ्यर्थी को अपना निर्धारित शुल्क ऑनलाइन (नेट बैंकिग/डेविट कार्ड/क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से) निर्धारित समय एवं तिथि (03 दिन अधिकतम)के अन्तर्गत जमा कर प्रवेश को सुनिश्चित कर लेना होगा। निर्धारित तिथि तक शुल्क न जमा करने पर उसकी सीट को रिक्त मानते हुए मेरिट के क्रम में दूसरे अभ्यर्थी को उक्त सीट/संयुक्तियां आवंटित कर दिया जायेगा।

(ख) **राजकीय/अनुदानित महाविद्यालय** की पाठ्यक्रमानुसार सूची के आधार पर (सुसंगत नियमों के अन्तर्गत)प्रवेश सम्पन्न किया जायेगा। निर्गत सूची के आधार पर अभ्यर्थी समस्त मूल प्रमाणपत्रों के साथ सम्बन्धित महाविद्यालय में जाकर प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित तिथि तक पूर्ण करेंगे।

(ग) **स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों** में प्रवेश के लिए निर्गत सूची (पृष्ठ 4 के 4 (ख) में वर्णित को छोड़कर) के आधार पर प्रवेश सम्पन्न किया जायेगा। निर्गत सूची के आधार पर अभ्यर्थी समस्त मूल प्रमाणपत्रों के साथ आवंटित महाविद्यालय में जाकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

8. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को प्रवेश समिति के समक्ष समस्त मूल प्रमाण पत्रों (आधार कार्ड, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र,अधिप्रतिनिधित्व प्रमाण–पत्र, विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित/कश्मीर विस्थापित/कारगिल शहीद, दिव्यांग प्रमाण–पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र/अन्तिम संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र आदि) एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित एवं सत्यापित छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा। जो अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य बोर्ड/संस्थाओं से उत्तीर्ण हैं (यथा–सी.बी.एस.ई.,आई.सी.एस.ई. तथा अन्य बोर्ड) उन्हें प्रवजन प्रमाण पत्र भी लाना होगा।

9. चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यक शुल्क जमा करके सम्बन्धित संकाय कार्यालय/महाविद्यालय में अपना नाम पंजीकृतकराना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

10. आवेदन पत्र पर पूर्व में अंकित किसी भी संवर्ग (*Category*), उपवर्ग (*Sub-category*) या भारांक (*Weightage*) का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रवेश के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपयुक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर पाने की दषा में सम्बन्धित लाभ देय नहीं होगा एवं श्रेष्ठताक्रम तद्नुसार परिवर्तित कर दिया जायेगा।

11. अभ्यर्थी को इस आशय की घोषणा करनी होगी कि उसके विरूद्ध कोई आपराधिक वाद नहीं है तथा भविष्य में अगर कोई एफ.आई.आर. दर्ज होगा तो उसका प्रवेश निरस्त समझा जायेगा।

12. विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है।

13. **प्रवेश के समय प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा, एतदर्थ प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें।**

14. विभिन्न पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा की तिथियाँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगी।

15. प्रवेष परीक्षा सम्बन्धी समस्त प्रपत्र/अभिलेख प्रवेष परीक्षा समाप्त होने की तिथि से केवल छः माह तक ही सुरक्षित रखा जायेगा।

16. जिन अभ्यर्थियों ने ववर्ष 2018 से पूर्व योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें उपर्युक्त अन्तराल के स्पष्टीकरण हेतु नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।

17. कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नियमित छात्र उस तिथि से माना जायेगा जिस दिन उसने प्रवेश शुल्क जमाकर सम्बन्धित विभाग में पंजीकरण करा लिया हो।

18. प्रवेश समिति किसी भी व्यक्ति का प्रवेश बिना कारण बताये हुए निरस्त कर सकती है।

19. प्रवेश के सम्बन्ध में यदि कोई अन्यथा स्थिति उपन्न होती है तो प्रवेश समिति के निर्णयानुसार तत्समय कार्रवाई की जायेगी।

20. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हो जाने पर अथवा असफल रह जाने या रोक लिये जानेपर किसी छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की उस कक्षा में दुबारा प्रवेश नहीं मिल सकेगा। परीक्षा में सम्मिलित/असफल छात्रों को भूतपूर्व छात्र होने की सुविधा उपलब्ध है।

21. विश्वविद्यालय की किसी भी कक्षा में किसी महाविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय से स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश नहीं होगा।